खण्ड-475, अंक-1
शुक्रवार, 15 माघ, शक संवत् 1932
(04 फरवरी, 2011 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2011)

(खण्ड 475 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची...	1-7
महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारियों तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	8-11
उपस्थित सदस्य	12-17
राष्ट्रीय गीत	19
श्री राज्यपाल द्वारा अभिभाषण को पूरा न पढ़े जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न ...	19-24
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	25-37
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (सदन के पटल पर रखा गया)...	37
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (सदन के पटल पर रखा गया)...	37
उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	38
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	38
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	38
सतर्कता अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2339/39-4-2010-21-05, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 (सदन के पटल पर रखी गयी)	38
लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-17/2009, परिवाद संख्या-148/2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	38
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2009-10 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2009-10 (सदन के पटल पर रखे गये)..	39
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)...	39
वन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-1835/14-5-2010-109-1993, दिनांक 26 नवम्बर, 2010 (सदन के पटल पर रखी गयी)	39
उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	39
मोनार्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	39
आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	40

विषय	पृष्ठ-संख्या
बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	40
श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	40
नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	40
उत्तर प्रदेश विनियोग (2010-2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	40-41
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	41
उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	41
जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	41
इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	42
मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	42
आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	42
बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	42-43
श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	43
नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	43
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	43-46
भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित) ...	46
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित)	46-47

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1.	अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
2.	अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
3.	अकीलुर्रहमान खाँ, श्री	मुरादाबाद
4.	अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
5.	अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
6.	अजय तोमर, डा0	बागपत
7.	अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
8.	अजय यादव, श्री	एटा
9.	अजय राय, श्री	वाराणसी
10.	अजय सिंह, श्री	जालौन
11.	अनन्त कुमार मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
12.	अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
13.	अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
14.	अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
15.	अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
16.	अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
17.	अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
18.	अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
19.	अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
20.	अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
21.	अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
22.	अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
23.	अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
24.	अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
25.	अब्दुल समद अंसारी, हाजी	वाराणसी
26.	अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
27.	अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
28.	अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
29.	अमित गौरव, श्री	एटा
30.	अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
31.	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
32.	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
33.	अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
34.	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
35.	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
36.	अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
37.	अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
38.	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
39.	अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
40.	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
41.	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
42.	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
43.	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
44.	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
45.	अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
46.	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
47.	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
48.	अशोक कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
49.	अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
50.	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
51.	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
52.	अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
53.	अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
54.	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी

55. आदित्य पाण्डेय, श्री फतेहपुर
56. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
57. आनन्द सेन, श्री फैजाबाद
58. आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री लखीमपुर खीरी
59. आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
60. आर0 के0 शर्मा, पंडित बरेली
61. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा
62. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
63. आसिफ, श्री हरदोई
64. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
65. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
66. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
67. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
68. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
69. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
70. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
71. उदयराज, श्री उन्नाव
72. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
73. उमलेश यादव, श्रीमती बदायूँ
74. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
75. उस्मानुल हक, श्री मुरादाबाद
76. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
77. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
78. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
79. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
80. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
81. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
82. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
83. काशीराम, श्री रामपुर
84. कुवेर सिंह, श्री एटा
85. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
86. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
87. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
88. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
89. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
90. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
91. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
92. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
93. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
94. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
95. कैलाश साहू, श्री झांसी
96. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
97. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
98. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
99. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
100. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
101. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
102. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
103. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
104. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
105. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
106. घूराराम, श्री बलिया
107. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
108. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
109. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
110. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
111. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
112. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
113. छोटे सिंह, श्री जालौन

114. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
115. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
116. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
117. जगपाल, श्री सहारनपुर
118. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
119. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
120. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
121. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
122. जसवन्त सिंह उर्फ
अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
123. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
124. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
125. जितेन्द्र कुमार उर्फ
नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
126. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
127. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
128. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
129. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
130. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
131. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
132. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
133. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
134. दयाराम, श्री कौशाम्बी
135. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
136. दाउद अहमद, श्री हरदोई
137. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
138. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
139. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
140. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
141. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
142. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
143. दूधराम, श्री बस्ती
144. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
145. धर्मपाल यादव
डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
146. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
147. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
148. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
149. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
150. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
151. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
152. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
153. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
154. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
155. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
156. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
157. नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रूखाबाद
158. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
159. नारायण सिंह, श्री आगरा
160. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
161. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
162. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
163. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
164. पशुपति, श्री गाजीपुर
165. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
166. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
167. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
168. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
169. प्रजापालन, श्री एटा
170. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
171. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
172. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
173. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
174. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
175. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद

176.	प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
177.	प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
178.	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
179.	फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
180.	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
181.	फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती	देवरिया
182.	फागू चौहान, श्री	मऊ
183.	बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
184.	बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
185.	बलराम सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
186.	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
187.	बासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
188.	बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
189.	बिरजू राम, श्री	जौनपुर
190.	बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
191.	बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
192.	ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
193.	भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
194.	भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
195.	भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
196.	भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
197.	भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
198.	भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
199.	भोला पासवान, श्री	आजमगढ़
200.	मंजू, श्रीमती	बलिया
201.	मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
202.	मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री	बागपत
203.	मधुबाला, श्रीमती	संत रविदासनगर (भदोही)
204.	मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
205.	मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
206.	ममतेश शाक्य, श्री	एटा
207.	मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
208.	महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
209.	महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
210.	महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
211.	महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
212.	महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
213.	महेश चन्द्र वर्मा, डा0	औरैया
214.	महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
215.	महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
216.	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
217.	माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
218.	मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
219.	मिथिलेश पाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
220.	मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
221.	मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
222.	मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
223.	मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
224.	मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
225.	मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
226.	मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
227.	मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
228.	मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
229.	मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
230.	मोहम्मद ताबिश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
231.	मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
232.	यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
233.	यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
234.	यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
235.	यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
236.	याकूब हाजी, श्री	मेरठ
237.	योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
238.	योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
239.	योगेश वर्मा, श्री	मेरठ

240.	रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
241.	रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
242.	रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुं0	प्रतापगढ़
243.	रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
244.	रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
245.	रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
246.	रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
247.	रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
248.	रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
249.	रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
250.	रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
251.	राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
252.	राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
253.	राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
254.	राघव लखन पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
255.	राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
256.	राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
257.	राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
258.	राजदेव सिंह, श्री	जौनपुर
259.	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
260.	राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
261.	राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
262.	राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री	रायबरेली
263.	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
264.	राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
265.	राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
266.	राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
267.	राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
268.	राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
269.	राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
270.	राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
271.	राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
272.	राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
273.	राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
274.	राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
275.	राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
276.	राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
277.	राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
278.	राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
279.	राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
280.	रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
281.	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
282.	राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0	कानपुर नगर
283.	राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
284.	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
285.	राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
286.	राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
287.	रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
288.	राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
289.	राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
290.	राम सिंह, डा0	अलीगढ़
291.	रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
292.	राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
293.	रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
294.	रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
295.	रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
296.	रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
297.	रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
298.	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
299.	लखीराम नागर, श्री	मेरठ
300.	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
301.	लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर

302. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
303. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
304. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
305. वारिस अली, श्री बहराइच
306. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
307. विजय कुमार उर्फ
विजय यादव, श्री मुरादाबाद
308. विजय कुमार मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
309. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
310. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
311. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
312. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
313. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
314. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
315. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
316. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
317. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
318. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
319. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
320. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
321. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
322. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
323. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
324. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
325. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
326. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
327. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
328. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
329. शहनवाज, श्री बिजनौर
330. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
331. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
332. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
333. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
334. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
335. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
336. शिवशंकर, श्री बलिया
337. शीशराम, श्री बिजनौर
338. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
339. शेखर तिवारी, श्री औरैया
340. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
341. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
342. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
343. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
344. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
345. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
346. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
347. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
348. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
349. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
350. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
351. संजय कपूर, श्री रामपुर
352. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
353. संजीव दरियाबादी,
''बन्टी''ए श्री कानपुर नगर
354. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
355. संध्या, कुमारी मैनपुरी
356. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
357. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
358. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
359. सत्य प्रकाश अग्रवाल
(कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
360. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
361. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
362. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
363. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
364. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
365. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर

366. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
367. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
368. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
369. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
370. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
371. सी0 वी0 इन्निस, श्री नाम-निर्देशित
372. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
373. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
374. सुखलाल, श्री पीलीभीत
375. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
376. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
377. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
378. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
379. सुभाष, श्री बलिया
380. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
381. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
382. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
383. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
384. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
385. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
386. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
387. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
388. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
389. सुल्तान बेग, श्री बरेली
390. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
391. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
392. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
393. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
394. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
395. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
396. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
397. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
398. हरपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
399. हरिओम, श्री जालौन
400. हसरत उल्ला, श्री एटा
401. हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
402. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
*403. रिक्त चन्दौली
**404. रिक्त गोरखपुर

---

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या-224, मुगलसराय, जिला-चन्दौली से निर्वाचित सदस्य श्री राम किशुन द्वारा दिनांक 26 मई, 2009 के पूर्वाह्न से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप।

** श्री जमुना निषाद, निर्वाचन क्षेत्र सं0-168, पिपराइच, जिला-गोरखपुर की दिनांक 19 नवम्बर, 2010 के अपराह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

महामहिम राज्यपाल

श्री बी0 एल0 जोशी

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	कुमारी मायावती मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राजनैतिक पेंशन, भाषा, सूचना, वाह्य सहायतित परियोजना, नागरिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, विकलांग कल्याण, धर्मार्थ कार्य, मुस्लिम वक्फ, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, महिला कल्याण, कारागार प्रशासन एवं सुधार, सैनिक कल्याण तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग।
2	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई [सिंचाई (यांत्रिक) को छोड़कर], आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)
3	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा
4	श्री लालजी वर्मा	संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष (होम्योपेथी चिकित्सा को छोड़कर)।
5	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन
6	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात
7	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	पंचायती राज
8	श्री वेद राम भाटी	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल
9	श्री लक्ष्मी नारायण	व्यावसायिक शिक्षा
10	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा
11	श्री बाबू सिंह कुशवाहा	भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण तथा अवस्थापना विकास, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन।

1	2	3
12	श्री जगदीश नारायण राय	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
13	श्री फागू चौहान	राजस्व
14	श्री नकुल दुबे	नगर विकास (नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को छोड़कर), पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन (संस्थागत वित्त, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर) तथा मनोरंजन कर।
15	श्री दद्दू प्रसाद	ग्राम्य विकास
16	श्री नरायन सिंह	उद्यान
17	श्री राम प्रसाद चौधरी	खाद्य एवं रसद (उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप को छोड़कर)
18	डा0 धर्म सिंह सैनी	बेसिक शिक्षा
19	श्री राम अचल राजभर	परिवहन
20	श्री बादशाह सिंह	श्रम
21	श्री रंगनाथ मिश्र	माध्यमिक शिक्षा
22	श्री अनन्त कुमार मिश्रा	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
23	श्री अब्दुल मन्नान	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
24	श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''	होम्योपैथिक चिकित्सा
25	श्री चन्द्रदेव राम यादव	लघु उद्योग
26	श्री फतेह बहादुर	वन, जन्तु उद्यान
27	श्री रामहेत	निर्वाचन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप
28	श्री राजपाल त्यागी	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
29	श्री सुभाष पाण्डेय	संस्कृति
30	श्री धर्मराज निषाद	मत्स्य

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	2	3
1	श्री अनीस अहमद खाँ	अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
2	श्री अयोध्या प्रसाद पाल	खेलकूद एवं युवा कल्याण
3	श्रीमती ओमवती	खादी एवं ग्रामोद्योग
4	श्री विनोद सिंह	पर्यटन

1	2	3
5	श्री लखीराम नागर	लघु सिंचाई
6	श्री अवधेश कुमार वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
7	श्री रामपाल वर्मा	परती भूमि विकास
8	श्री अवधपाल सिंह यादव	पशुधन एवं दुग्ध विकास
9	श्री अकबर हुसैन	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
10	श्री सदल प्रसाद	प्राविधिक शिक्षा
11	डा0 यशवंत सिंह	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
12	श्री रतन लाल अहिरवार	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास
13	श्री भगवती प्रसाद सागर	सेवायोजन (व्यावसायिक शिक्षा के अधीन विभागों को छोड़कर)
14	श्री जयवीर सिंह	सिंचाई (यांत्रिक)

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री संग्राम सिंह	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
2	श्री योगराज सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
3	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी	मुस्लिम वक्फ
4	श्री दद्दन मिश्रा	आयुर्वेदिक चिकित्सा
5	श्री हरिओम	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल
6	श्री यशपाल सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नेता विरोधी दल

श्री शिवपाल सिंह यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री सुखदेव राजभर

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),

2-श्री मोहम्मद इरशाद खां, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),

3-श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह), सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),

4-श्री बृजेश सौरभ, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़),

5-श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),

6-श्री अवधेश प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)

7-डा0 पी0के0 राय, सदस्य, विधान सभा (कुशीनगर),

8-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),

9-श्री प्रदीप माथुर, सदस्य, विधान सभा (मथुरा),

10-रिक्त।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 04 फरवरी, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-342

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 — बागपत
7. अजय यादव, श्री — एटा
8. अजय सिंह, श्री — जालौन
9. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
10. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
15. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
20. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
21. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
22. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
23. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
24. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
25. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
26. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
27. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
30. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
31. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
32. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
33. अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
34. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
35. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
36. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
37. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
38. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
39. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
40. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
41. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
42. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
43. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
44. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
45. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
46. आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री — लखीमपुर खीरी
47. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ

48.	आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
49.	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
50.	आसिफ, श्री	हरदोई
51.	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
52.	इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
53.	इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
54.	ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
55.	उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री	लखीमपुर खीरी
56.	उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
57.	उदयराज, श्री	उन्नाव
58.	उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
59.	उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूँ
60.	उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
61.	ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
62.	ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
63.	ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
64.	कमलेश चन्द दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
65.	कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
66.	कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
67.	काशीराम, श्री	रामपुर
68.	कुवेर सिंह, श्री	एटा
69.	कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
70.	कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
71.	कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
72.	कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
73.	कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
74.	कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
75.	कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
76.	के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
77.	केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
78.	कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
79.	कैलाश साहू, श्री	झांसी
80.	कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
81.	कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
82.	खातून तौफीक, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
83.	गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
84.	गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
85.	गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
86.	गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
87.	गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
88.	गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
89.	घूराराम, श्री	बलिया
90.	चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
91.	चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
92.	चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
93.	चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
94.	छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
95.	छोटे सिंह, श्री	जालौन
96.	जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
97.	जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
98.	जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
99.	जगपाल, श्री	सहारनपुर
100.	जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
101.	जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
102.	जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
103.	जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
104.	जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री	जौनपुर
105.	जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
106.	जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
107.	जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
108.	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद

109. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
110. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
111. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
112. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
113. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
114. दयाराम, श्री कौशाम्बी
115. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
116. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
117. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
118. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
119. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
120. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
121. दूधराम, श्री बस्ती
122. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
123. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
124. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
125. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
126. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
127. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
128. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
129. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
130. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
131. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
132. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
133. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
134. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
135. नारायण सिंह, श्री आगरा
136. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
137. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
138. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
139. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
140. पशुपति, श्री गाजीपुर
141. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
142. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
143. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
144. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
145. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
146. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
147. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
148. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
149. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
150. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
151. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
152. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
153. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
154. फागू चौहान, श्री मऊ
155. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
156. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
157. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
158. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
159. बिरजू राम, श्री जौनपुर
160. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
161. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
162. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
163. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
164. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
165. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
166. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
167. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
168. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
169. मंजू, श्रीमती बलिया
170. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
171. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत

172. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
173. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
174. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
175. ममतेश शाक्य, श्री एटा
176. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
177. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
178. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
179. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
180. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
181. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
182. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
183. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
184. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
185. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
186. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
187. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
188. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
189. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
190. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
191. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
192. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
193. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
194. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
195. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
196. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
197. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
198. मोहम्मद मुजतबा सिद्‌दीकी, श्री इलाहाबाद
199. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
200. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
201. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
202. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
203. याकूब हाजी, श्री मेरठ
204. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
205. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
206. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
207. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
208. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
209. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
210. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
211. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
212. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
213. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
214. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
215. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
216. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
217. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
218. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
219. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
220. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
221. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
222. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
223. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
224. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
225. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
226. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
227. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
228. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
229. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
230. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
231. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
232. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी

233. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
234. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
235. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
236. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
237. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
238. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
239. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
240. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
241. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
242. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
243. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
244. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
245. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
246. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
247. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
248. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
249. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
250. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
251. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
252. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
253. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
254. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
255. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
256. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
257. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
258. लखीराम नागर, श्री मेरठ
259. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
260. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
261. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
262. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
263. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
264. वारिस अली, श्री बहराइच
265. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
266. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
267. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
268. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
269. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
270. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
271. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
272. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
273. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
274. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
275. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
276. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
277. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
278. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
279. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
280. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
281. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
282. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
283. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
284. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
285. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
286. शीशराम, श्री बिजनौर
287. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
288. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
289. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
290. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
291. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
292. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
293. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
294. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
295. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
296. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
297. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
298. संजय कपूर, श्री रामपुर
299. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़

300. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'' श्री — कानपुर नगर
301. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
302. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
303. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
304. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
305. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
306. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
307. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
308. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
309. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ़
310. सिद्धार्थ शंकर, डा0 — लखनऊ
311. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूँ
312. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
313. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
314. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
315. सी0 वी0 इन्निस, श्री — नाम-निर्देशित
316. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
317. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
318. सुखलाल, श्री — पीलीभीत
319. सुनील शर्मा, श्री — गाजियाबाद
320. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
321. सुभाष, श्री — बलिया
322. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती — ललितपुर
323. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
324. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
325. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
326. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
327. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
328. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
329. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
330. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
331. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
332. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री — आगरा
333. सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
334. सूर्यभान, श्री — मिर्जापुर
335. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
336. सोबरन सिंह, श्री — मैनपुरी
337. हरगोविन्द भार्गव, डा0 — सीतापुर
338. हरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
339. हरिओम, श्री — जालौन
340. हसरत उल्ला, श्री — एटा
341. हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
342. होराम सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर

नोट :- लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास शहरी नियोजन, कृषि तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय-गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

(मद संख्या-2 पुकारे जाने पर)

श्री राज्यपाल द्वारा अभिभाषण को पूरा न पढ़े जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

मान्यवर, आइटम नं0 2 जो लगा हुआ है अभिभाषण पढ़कर आप सुनायेंगे इसके पहले मैं एक शब्द कह देना चाहता हूं कि संभवतः महामहिम राज्यपाल जी अभिभाषण पढ़कर आये थे और इसमें लिखित तथ्यों से वह सहमत नहीं थे और इसीलिए वह सदन में आये और उन्होंने पूरा भाषण पढ़ने से इंकार कर दिया तो मैं समझता हूं कि ऐसा अभिभाषण जो महामहिम राज्यपाल जी ने पढ़ा ही नहीं उसे अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो यह औचित्य नहीं होगा। मैं इस औचित्य के संदर्भ में प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि मैं एक चीज और महसूस कर रहा हूं कि यह प्रश्न अगर हम नहीं उठायेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं उठायेगी, लोकदल नहीं उठायेगी तो समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं उठायेगी कि सदरी का रंग जो लालजी वर्मा जी का है वह सपा से मिल रहा है। बसपा के संसदीय कार्य मंत्री जी के सदरी का रंग और अम्बिका चौधरी जी के कपड़ों का रंग आज मिल रहा है तो यह दोनों तो

एक दूसरे की बात उठायेंगे नहीं इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस अभिभाषण को महामहिम राज्यपाल जी ने इस काबिल नहीं समझा, उसकी बातों से वह सहमत नहीं थे, अपना मात्र संवैधानिक दायित्व निभाया उसको पढ़ने से इंकार कर दिया, उसे पढ़ना उचित नहीं होगा। इसलिए इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक प्रश्न अभी मा0 प्रमोद तिवारी जी ने उठाया कि महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण को पढ़ा नहीं, पढ़ा क्यों नहीं ? इस पर केवल दो बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं। न पढ़ने का मुख्य कारण क्या है ? पहला पेज आप देखें, हमने भी इसे पढ़ा। भारतवर्ष सर्वसमाज का देश है और सर्वसमाज का देश होते हुए भी भारत की एक संस्कृति है महापुरुषों का सम्मान करना। हमने कभी महापुरुषों को दो भागों, तीन भागों में नहीं बांटा। क्योंकि पहले पेज पर कुछ महापुरुषों के नामों का उल्लेख है और इस आधार पर है कि वे महापुरुष दलित और पिछड़े वर्ग के हैं। मान्यवर, महापुरुष किसी एक वर्ग का नहीं होता है, महापुरुष सब वर्गों का होता है। लेकिन दुःख की बात है कि इस शताब्दी में सारे विश्व ने जिसे महापुरुष माना है। महात्मा गांधी का इसमें उल्लेख न हो, उत्तर प्रदेश में जन्मे भगवान श्रीराम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध का इसमें जिक्र न हो तो हम कैसे मान सकते हैं कि एक महान राज्यपाल जो अपने आप में बहुत विद्वान हैं, उनको इस बात की खेद थी कि इस आधी-अधूरी व महापुरुषों को वर्गों में विभाजित करने वाला अभिभाषण शायद वह यहां पढ़ना नहीं चाहते थे। दूसरा कारण महामहिम राज्यपाल केन्द्र के प्रतिनिधि हैं, संवैधानिक पद पर हैं और उनके मुख से केन्द्र सरकार की आलोचना करायी जाय कि केन्द्र सरकार ने उनको पैकेज की स्वीकृति नहीं दी, केन्द्र सरकार ने धन समय से उपलब्ध नहीं कराया इस कारण से विकास रुक गया। हम बिल्कुल निगाह बांध कर देख रहे थे महामहिम जी अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे कि ऐसे अभिभाषण जिसमें भारत की संस्कृति का उपहास किया गया हो, जिस अभिभाषण में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि होते हुए भी उनसे केन्द्र सरकार की आलोचना करायी गयी हो, इसलिए वह उसको पढ़ करके नहीं गये बल्कि रख करके चले गये और क्षुब्ध हो करके दुःखी मन से वह गये हैं इसलिए अध्यक्ष जी, इसको न पढ़ा जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची में मद संख्या-2 है माननीय अध्यक्ष, श्री राज्यपाल द्वारा एक साथ समवेत् दोनों सदनों को दिये गये अभिभाषण को पढ़कर सुनायेंगे। हमारी नियमावली में नियम-19 के (2) में प्राविधान है कि राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के अपने उपवेशन में अध्यक्ष उसे पढ़ करके सदन को सुनायेंगे। श्रीमन् नियमावली के इन्हीं प्राविधानों के अन्तर्गत आपने आदेशित किया है कि आज की कार्यसूची में मद संख्या-2 में राज्यपाल के समवेत् सदन में जो अभिभाषण दिया है उसको पढ़ करके आप द्वारा सुनाया जाए। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आमतौर पर सरकार तैयार करती है और महामहिम राज्यपाल जी आ करके उसका पाठ करते हैं। हम इस परम्परा से भिज्ञ हैं। हम यह भी स्वीकार कर लेंगे अगर संसदीय कार्य मंत्री जी तर्क करना चाहेंगे

कि नहीं सचमुच में उन्होंने इसको पढ़ लिया था, देख लिया था और हस्ताक्षर कर दिये थे तब उनकी अनुमति से इसको प्रकाशित करने और छपवाने का काम सरकार ने किया है। यह भी कदाचित हुआ होगा। किन्तु मान्यवर, सदन में आने के बाद चूंकि वह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रदेश के संरक्षक की भूमिका में हैं। यहां आने के बाद जब उन्होंने देखा कि सदन में पूरी तरह से सभी सदस्य इस मत के हैं कि यह सरकार अगर बलात्कारियों को खाली संरक्षण देने में लगी हुई है, पूरे प्रदेश में लूट का बाजार गर्म है, लूट के अलावा और कोई दूसरी चीज है नहीं। पूरे प्रदेश के सभी तबकों के लोग पीड़ित हैं। उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो इस सदन में हैं उनकी भावनाओं से जब महामहिम राज्यपाल को उन्होंने अवगत कराया तो उन्होंने यह सोचा कि हमारे द्वारा इस अभिभाषण को पढ़ना ठीक नहीं है। वह यह कार्य करने के लिए आये थे जरूर, लेकिन उन्होंने जो अपना छपा हुआ अभिभाषण था उसका एक शब्द भी नहीं पढ़ा है और जो कारण मैंने बताये, उन कारणों से उन्होंने नहीं पढ़ा और वह दुःखी मन से चले गये हैं। इसलिए फिर दूसरी बार आवश्यकता हो तो आप उन्हें आमंत्रित करवा लें, दूसरा अभिभाषण ले करके आयें जिसमें बलात्कारी विधायक, मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट हो। सरकार की लूट को बन्द किये जाने का उल्लेख हो और श्रीमन् इस असंवैधानिक सरकार को बर्खास्त किये जाने का संकल्प हो। ऐसा अभिभाषण ले करके आयें तो उसका पाठ हो और आप उसका पाठ करें तो बड़ी कृपा होगी। अनुरोध करता हूं कि जो भाषण उन्होंने दिया ही नहीं है यहां पर उसका पाठ उचित नहीं है। धन्यवाद।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी खुशी मन से आये थे उन्होंने भाषण को पढ़ने का प्रयास किया और दुःख इस बात का जरूर है कि समाजवादी पार्टी के लोग विशेष रूप से जो पहले दिल के अन्दर छिपाए रहते थे अपनी कमजोरी अपने कालेपन को आज महामहिम के सामने उसे प्रदर्शित करने का काम किया। मान्यवर, यह भी दुःख है कि महामहिम जी ने जमुना प्रसाद निषाद जी के निधन पर जब श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया तो उस अवसर पर मौन रहना चाहिए था। सहानुभूति से सुनना चाहिए था लेकिन दुःख का विषय है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने विशेष रूप से ऐसे अवसर पर भी शांत रहने का काम नहीं किया। मान्यवर, इनका जो आचरण है। करेली में जब काण्ड होता है मुस्लिम महिलाओं के साथ छात्रावास में जो काण्ड होता है उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी वहां रहते हैं उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जिनका चरित्र शुरू से ही इस तरह का है। जहां तक महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण की बात है उन्होंने शुरुआत में ही सदस्य के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और अन्त में उन्होंने इस बात को कहा कि मैं आशा करता हूं कि प्रदेश को समग्र रूप से विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में मेरी सरकार द्वारा किये जा रहे ठोस प्रयासों को साकार करने के लिए विधान मण्डल के मा0 सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा। मान्यवर, प्रदेश में गरीबों के लिए आम जनता के हित के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसकी महामहिम जी ने सराहना की है। साथ ही साथ गुण्डों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है बिना भेदभाव के उसकी सराहना करने का काम किया। लेकिन जो पार्टी गुण्डों के मकड़जाल से पूरी तरह से जकड़ी हुई है जिस पार्टी का चरित्र ही गुण्डों की वफादारी का रहा हो तो गुण्डों के

खिलाफ कार्यवाही करने से उस पार्टी का चरित्र ही समाप्त हो जाएगा इसलिए गुण्डों के खिलाफ कार्यवाही की बात यह सुन नहीं सकते थे। गुण्डों के खिलाफ बिना भेदभाव के कार्यवाही हो रही है यह उसको सुन नहीं सकते थे इसलिए इस तरह का माहौल पैदा करने का काम किया। महामहिम जी अभिभाषण से संतुष्ट थे उन्होंने इसे काफी देर तक पढ़ने का प्रयास भी किया कि मैं पढ़ूं। महिलाओं के लिए जो कार्य हो रहे हैं उसकी बात कही।

श्री अम्बिका चौधरी-

महिलाओं का सम्मान बलात्कार से हो रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

जो स्वयं उसमें निपुण हैं जो लोग अपने शासन में महिलाओं के साथ जितना घोर अमानवीय व्यवहार हो सकता था, करने का काम किया। आज हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है मैं कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री जी के प्रयास का ही परिणाम है कि पूरे देश के स्तर पर महिलाओं के साथ जो अपराध है उत्तर प्रदेश में सबसे कम हुआ है और यह इस बात का परिचायक है। हम 30वें नम्बर पर हैं। 35 प्रदेश हैं यू0टी0 और प्रदेश को मिलाकर उसमें केवल दो प्रदेश ऐसे हैं जहां महिलाओं के साथ अपराध हमारे यहां से कम हैं। बाकी सारे प्रदेशों में से हमारे यहां अपराध की दर सबसे कम है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना जो गरीब महिला हैं उनके लिये महिला मुखिया के नाम पर मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना यह सब काम करके निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान करने का काम इस सरकार ने किया है और यह महामहिम राज्यपाल ने पढ़ने का काम किया है इसलिए श्रीमन् इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है इसको खारिज करने का कष्ट करें।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पर अभिभाषण किया ही नहीं। सदन भी अव्यवस्थित था पढ़ा ही नहीं गया तो फिर औचित्य ही नहीं है यहां पर इसको आपके द्वारा पढ़ने का। दूसरी बात यह है कि अभी जमुना प्रसाद निषाद का नाम लिया गया। हम सब लोग उनकी मौत से दुःखी हैं। हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि दो साल तक उनको अकारण गोरखपुर की जेल में क्यों रखा गया था ? वह बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, मंत्री भी थे। इसी तरह से राजा भैया, विनोद कुमार सरोज को और सांसद शैलेन्द्र को क्यों बंद किया ? शायद शैलेन्द्र और विनोद कुमार सरोज का आज तक 151 में भी कहीं नाम नहीं होगा। राजा भैया ने कभी किसी को गाली नहीं दी होगी। (सत्ता पक्ष की ओर से हंसी) सही बात है। गाली नहीं दी है, अगर है तो बतायें।

श्री अध्यक्ष-

वह कहां टेप हुआ है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

गाली दी थी क्या किसी को ? थाने में रिपोर्ट लिखाने गये थे जब विधायक विनोद कुमार सरोज पर हमला हुआ था। राजा भैया, अक्षय प्रताप और शैलेन्द्र थाने में गये थे। थाने में रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें जेल भेज दिया गया। आज उसी तरीके से पूरे प्रदेश में थाने से लेकर अधिकांश डी0एम0, एस0एस0पी0 गुण्डई कर रहे हैं और मंत्रियों की गुण्डई और पूरे प्रदेश में लूट और गुण्डा टैक्स वसूला जा रहा है। आपको भी जानकारी होगी, जी0टी0 टैक्स के नाम पर कितना वसूला जा रहा है। नहीं तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। पहले गुण्डा टैक्स था। अब एक वी0आई0पी0 टैक्स और हो गया है। पूरे प्रदेश में यह टैक्स वसूला जा रहा है और विकास के कार्य पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। अभी महिलाओं ने आज सवेरे राज्यपाल महोदय से कहा कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को यहां आना ही नहीं चाहिए था। जब पूरा प्रदेश लुट रहा है, पूरे प्रदेश में गुण्डई हो रही हो, गुण्डा टैक्स की वसूली हो रही हो तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष-

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, व्यवस्था पर बोलें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जब पूरे प्रदेश में लूट हो रही हो, बेईमानी हो रही हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो और यहां तक कि पूरे उत्तर प्रदेश का पैसा दूसरे प्रान्तों में ....

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है मा0 नेता प्रतिपक्ष जी...

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नहीं तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। दूसरे प्रान्तों में सर्वदलीय और महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनायें हो रही हैं। ... (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

सर्वदलीय है ना।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हां, तो इस पर सर्वदलीय कमेटी बनाओ।

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहिए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

तो मान्यवर इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय ने जानबूझकर यह भाषण पढ़ा ही नहीं। इसलिए पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए सदन दुबारा बुलाया जाए और संशोधन करके दूसरा भाषण लाएं।

श्री हुकुम सिंह-

यह जो सर्वदलीय महिलाओं की बात है इससे भा0ज0पा0 अपने को अलग करती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

कांग्रेस पार्टी भी इससे अपने को अलग करती है। .... (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय चौधरी साहब, माननीय हुकुम सिंह जी और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, जो वरिष्ठ सदस्य हैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा नहीं माना जाएगा जबकि हमारे माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं हम भी सदन में लम्बे समय से रहे हैं और व्यवस्था, व्यवधान कभी उत्पन्न हुआ है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो यह दृष्टान्त और परम्परा देखी गई है कि अगर व्यवधान है तो महामहिम राज्यपाल महोदय अभिभाषण की प्रथम पंक्ति और आखिरी पंक्ति पढ़ लेते हैं और यह स्वीकार हुआ है कि पढ़ा हुआ माना जाए। इसलिए इस व्यवस्था को इस आधार पर कि परम्परागत हमारे सदस्य ने जो व्यवस्था उठायी है, वह विद्वान हैं और परम्परा भी रही है, तमाम दृष्टान्त है और देखा भी गया है कि इस तरह से महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जाता है। इसलिए व्यवस्था का कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने तो सुना नहीं। इसलिए यह बात कही लेकिन श्रीमन् अगर महामहिम राज्यपाल ने सचमुच यहां अपना भाषण पढ़ा है और उसके शुरू में ही कहा 'जहां मुझे इस बात का दुःख भी है कि माननीय विधायक श्री जमुना प्रसाद निषाद का असामयिक निधन हो गया है' और श्रीमन् उसी समय रूलिंग पार्टी के द्वारा मेजें पीटी जा रही थीं और मान्यवर, तालियां बजाई जा रही थीं तो इससे दुःखद और कोई बात नहीं हो सकती है।

(शोर)

हम समझ नहीं सके, जरा बर्दाश्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, अगर सचमुच उसी बात पर यह लोग मेजें पीटकर तालियां बजा रहे थे तो उससे शर्मनाक बात और नहीं हो सकती है यह मैं उल्लेख करना चाहता हूं इस पर अपनी व्यवस्था दें। राजनैतिक बातें अपनी जगह हैं लेकिन किसी सदस्य के निधन जैसे दुःखद बात का उल्लेख किसी भी अवसर पर किया जा रहा हो तो इनको संयमित रहने का प्रयास करना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो इन लोगों को करना चाहिए था। हम लोग तो संयमित होकर अपनी जगह पर बैठे थे शान्त तरीके से लेकिन इनको शर्म महसूस करनी चाहिए और आपसे खेद व्यक्त करना चाहिए कि हमसे गलती हुई।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, भारत की हृदय स्थली, उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल....

श्री प्रमोद तिवारी-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने ओवररूल कर लिया तो इसका पाठ तो सुनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ रहे थे तो कहा गया कि पढ़ा मान लिया जाए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैंने कहा कि पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं अपनी बात वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

[के वर्ष 2011 के प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित करने में मैं गर्व महसूस करता हूं। सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की शुभकामनायें देते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। **मुझे इस बात का दुःख भी है कि माननीय विधायक श्री जमुना प्रसाद निषाद का असामयिक निधन हो गया है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।**

मेरी सरकार देश में समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों विशेष रूप से **महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी** के बताये हुए रास्ते पर चलकर, 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की नीति के आधार पर प्रत्येक निर्णय लेती है। देश के उपेक्षित तथा शोषित वर्गों के लोगों के स्वाभिमान और अधिकारों के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित करने वाले इन महापुरुषों के सम्मान में मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्मारक, पार्क व संग्रहालय आदि विकसित किये हैं, जो समाज को प्रेरणा और दिशा प्रदान करते रहेंगे।

मेरी सरकार का लक्ष्य समाज में व्याप्त हर प्रकार की गैर-बराबरी को बदलकर इसके स्थान पर 'समतामूलक समाज व्यवस्था' की स्थापना करना है, क्योंकि इसी में सर्वसमाज का हित निहित है। इसे दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार ने सर्वसमाज के सभी वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन प्राथमिकता, समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर खड़े दलित, शोषित, वंचित तथा महिलाओं सहित अन्य सभी कमजोर वर्गों को प्रदान की है। मेरी सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रदेश की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानून-व्यवस्था उत्तम हो, क्योंकि उत्तम कानून-व्यवस्था की बुनियाद पर विकास का माहौल बनता है। सरकार का मानना है कि, समाज में आर्थिक एवं सामाजिक समरसता लाये बगैर कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनाओं को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। इसलिए मेरी सरकार सामाजिक एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, अमन-चैन और त्वरित विकास के साथ-साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं की ओर पूरा ध्यान दे रही है।

मेरी सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु कृत संकल्प है। सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय में जनता को सुलभ कराने के उद्देश्य से प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए मेरी सरकार ने प्रदेश में जनहित गारण्टी कानून लागू किया है। इस कानून के दायरे में जनहित की ऐसी सेवाओं को सबसे पहले चिन्हित किया है, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत समाज के कमजोर और गरीब वर्गों के लोगों को दिन-प्रतिदिन होती है। इस कानून के प्रभावी हो जाने से अब सेवाओं की निर्धारित अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित होगी और विचलन की दशा में अर्थदण्ड लगाये जाने की व्यवस्था की गयी है।

भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना हेतु प्रत्येक प्रभावित किसान को प्रतिकर के अतिरिक्त 33 वर्ष के लिये रुपया 20,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी दिये जाने एवं उक्त वार्षिकी में प्रति वर्ष 600 रुपये की निश्चित दर से वृद्धि किये जाने का प्रावधान लागू किया गया है।

प्रदेश में गन्ना किसानों की खुशहाली में वृद्धि लाने के लिए गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करने तथा उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने एवं चीनी मिलों के साथ सामन्जस्य स्थापित कर इस उद्योग के निरन्तर विकास के लिये सरकार दृढ़ संकल्प है। पेराई सत्र 2009-10 में गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में 25.00 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की गयी थी, वहीं वर्तमान पेराई सत्र 2010-11 में 40.00 रुपये प्रति कुन्तल की ऐतिहासिक व अभूतपूर्व वृद्धि की गयी है।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल क्षेत्र के पिछड़ेपन तथा सुविधाओं के अभाव की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से अस्सी हजार करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग के प्रति केन्द्र द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है और न ही अभी तक कोई विशेष मदद उपलब्ध कराई गयी है।

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को प्राप्त होने वाली सहायता पूर्णरूपेण उपलब्ध नहीं करायी जाती। केन्द्र द्वारा एक नयी परम्परा शुरू की गयी है जिसमें वित्तीय वर्ष के अन्त में धनराशि अवमुक्त की जाती है, इससे एक ओर जहां विकास कार्यों में विलम्ब होता है वहीं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्यों के पास मजबूरीवश धनराशि अप्रयुक्त रह जाती है, जिसके बराबर अगले वर्ष उपलब्ध होने वाली सहायता में कटौती कर ली जाती है।

केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से राज्यों पर अतिरिक्त व्यय भार आ रहा है, इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस सन्दर्भ में पिछड़ा वर्ग की

छात्रवृत्ति के रूप में ही लगभग दो हजार करोड़ से अधिक की धनराशि की देयता भारत सरकार पर है लेकिन निरन्तर अनुस्मरण कराने के उपरान्त भी राज्य को धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।

भारत का संविधान में निहित नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप मेरी सरकार द्वारा समाज के असहाय, शोषित एवं सुविधा विहीन, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं सहित अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं।

मेरी सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण को तरजीह देते हुए इनकी खुशहाली और उन्नति के सपनों को साकार किया है। सरकार द्वारा **उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना** प्रारम्भ की गयी है। योजना में हर गरीब परिवार को जिन्हें अभी तक सस्ती दर पर खाद्यान्न और किसी प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उन सभी गरीब परिवारों की महिला मुखिया को प्रतिमाह 400 रुपये की दर से धनराशि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2010-11 में 31 लाख परिवारों को आच्छादित किया जायेगा।

सरकार द्वारा इसके साथ ही गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए **सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना** कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में प्रोत्साहन राशि के साथ ही एक साइकिल भी उपलब्ध करायी जा रही है। बालकों के सापेक्ष बालिकाओं के घटते अनुपात और भ्रूण हत्या रोकने तथा बालिकाओं को सम्मानजनक/आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से **महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना** कार्यान्वित की जा रही है। योजना में बालिका के जन्म पर एक मुश्त धनराशि 18 वर्ष की सावधि जमा के रूप में दी जाती है ताकि 18 वर्ष बाद एक लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध हो जाये। योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक 2,57,075 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है, जिसमें 533.41 करोड़ रुपये की धनराशि के सावधि जमा-पत्र उपलब्ध कराये गये हैं।

शहरी क्षेत्रों में निराश्रित विधवाओं, विकलांगजनों एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु **मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना** कार्यान्वित की जा रही है। योजना के प्रथम चरण में 99 हजार आवास इकाइयों का निर्माण कार्य कराया गया है और द्वितीय चरण में 42,489 आवास इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयशीलता लाने हेतु कम्प्यूटराइजेशन किया गया है। वर्ष 2010-11 में लगभग 01 करोड़ 70 लाख छात्रों को योजना से लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार वृद्धावस्था/किसान पेंशन वितरण प्रणाली को पूर्ण पारदर्शी बनाते हुए वर्ष 2010-11 में 38,46,184 वृद्धजनों को लाभान्वित किया जा रहा है।

पति की मृत्युपरान्त 35 वर्ष से कम आयु की महिला से विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन स्वरूप 11,000 रुपये की धनराशि एकमुश्त दी जाती है। दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता हेतु विधिक वाद की पैरवी हेतु 2,500 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान

की जाती है। इसके अतिरिक्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के भरण-पोषण तथा शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु 300 रुपये प्रतिमाह की दर से सहायता दी जाती है।

अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि पैदा करने, स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को नामांकन के प्रति जागरूक करने तथा उनमें ड्राप आउट की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 10 तक अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2010-11 में 36,26,986 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु 10,000 रुपये प्रति पुत्री अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को लघु उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु **मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना** के माध्यम से 15 प्रतिशत अनुदान एवं 80 प्रतिशत बैंक ऋण मुहैया कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षा हेतु अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है।

मेरी सरकार द्वारा विकलांगजन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विकलांग विद्यार्थियों को बाधा रहित वातावरण में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी, जिसका निर्माण राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा संकाय में 6 पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया है। गोरखपुर में दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिये तथा मेरठ में दृष्टिबाधित बालकों के लिये एक-एक इण्टर कालेज की स्थापना की गई है। साथ ही लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर एवं इलाहाबाद में 100-100 कमरों के छात्रावास तथा गोरखपुर एवं लखनऊ में उच्च शिक्षारत् विकलांग छात्राओं के लिये 100-100 कमरों के छात्रावासों की स्थापना की गई है। सरकारी सेवाओं में कार्यरत विकलांगजनों को अनुमन्य वाहन भत्ता को दो गुना कर दिया गया है और भर्ती हेतु 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वतः रोजगार में स्थापित करने हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में इस वर्ष माह नवम्बर, 2010 तक 2.41 लाख व्यक्तियों को स्वरोजगार में स्थापित किया जा चुका है। **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के लिये अस्पताल में भर्ती से सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाओं और शल्यक्रिया जैसी सेवाओं को प्रति परिवार रुपया 30,000 की सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर, 2010 तक 50 लाख बी0पी0एल0 परिवारों के बीमा कार्ड बनाये जा चुके हैं तथा 3.09 लाख परिवारों के इलाज पर 176.79 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु इन्दिरा आवास योजना में भारत सरकार से अपेक्षित आवासों के निर्माण हेतु संसाधन उपलब्ध न होने की वजह से राज्य के सीमित संसाधनों से महामाया आवास योजना एवं महामाया सर्वजन आवास योजना

कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2010-11 में कुल मिलाकर 4.37 लाख आवासों का निर्माण कराया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के निदान हेतु वर्ष 2010-11 में 82 हजार नये हैण्डपम्प तथा 75 हजार पुराने हैण्डपम्पों का रिबोर कराये जाने के साथ ही 604 पाइप पेयजल योजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की संरचना एवं स्वरूप में व्यापक परिवर्तन करते हुए ग्राम सभाओं में अवस्थापना एवं जन सुविधा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन चरणबद्ध ढंग से किया गया है। वर्ष 2010-11 में 2,249 गांवों को विभिन्न चयनित कार्यक्रमों से संतृप्त करने हेतु लिया गया है।

ग्राम पंचायतों की आबादी में निर्मित खड़न्जा एवं नालियों की सफाई व जल निकासी की समस्या के निदान हेतु सी0सी0 रोड और के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2010-11 में 2,249 डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड और के0सी0 ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पूर्वांचल के नक्सल प्रभावित जनपदों के 87 ग्रामों को भी डा0 अम्बेडकर ग्रामों की भांति अब सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन से संतृप्त करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्वच्छता एवं साफ सफाई की समस्या के निदान हेतु प्रत्येक राजस्व ग्राम में सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 95,650 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है।

भूमिहीन कृषकों को कृषि योग्य भूमि एवं आवासहीन व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटन का विशेष अभियान चलाकर चिन्हांकित 99 प्रतिशत भूमि का आवंटन कर दिया गया है। कुछ वर्ष पूर्व विधवाओं को, पुत्रों के समतुल्य अधिकार प्रदान कर सरकार ने लिंग भेद कम करने की दिशा में जो शुरूआती ठोस कदम उठाया था उसे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 में निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम को संशोधित कर इसे महिलाओं के मालिकाना हक के अनुकूल बनाया है।

प्रदेश की कृषि उत्पादकता में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में नवीन तकनीकी को ससमय कृषकों को पहुंचाने एवं सामयिक कृषि संसाधन व्यवस्था हेतु गोष्ठियां/विराट मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जनपद स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से वर्ष 2010-11 में "अपनी मिट्टी पहचाने" सघन अभियान के अन्तर्गत 25.50 लाख मृदा नमूनों की जांच की गई तथा जांच के बाद 17.31 लाख संस्तुतियां मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। किसानों को उत्पादन में वृद्धि हेतु फास्फेटिक उर्वरकों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2010-11 में 6.83 लाख मैट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरकों की प्री-पोजिशिनिंग की गयी, फलस्वरूप रबी में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सकें।

कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में नवम्बर, 2010 तक 38.62 लाख कृषकों को आच्छादित करते हुए लगभग 858 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी गई। साथ ही तीन जनपदों में मौसम आधारित बीमा योजना प्रारम्भ की गई है जिसमें 9,550 कृषकों को 2.84 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की गई है।

खलिहान दुर्घटना सहायता योजना में जोत सीमा के आधार पर अधिकतम 15,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। साथ ही **खड़ी फसल अग्निकाण्ड दुर्घटना योजना** के अन्तर्गत एक लाख रुपये से अधिक दुर्घटना सहायता की धनराशि के दावों को निपटाने हेतु जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। मण्डियों में घटतौली को रोकने हेतु 60 मण्डियों में इलेक्ट्रानिक तौल मशीन की स्थापना की गई है। साथ ही मण्डियों में कृषक सेवा केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 03 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में कृषि के समग्र विकास हेतु जनपद बांदा में **मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय** की स्थापना की जा रही है, ताकि कृषि समस्याओं के समाधान हेतु शोध कार्यों के साथ ही अधिक पैदावार देने वाली रोग-रोधी किस्मों का विकास हो सके।

दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त आय अर्जन का एक लाभप्रद साधन है। प्रदेश में 12,223 सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 5.77 लाख किलो दूध का उपार्जन कर विक्रय किया जा रहा है। पशुधन विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों यथा उन्नत प्रजनन, पशुरोग नियंत्रण, उन्नत पशुपोषण तथा आधुनिक पशुधन प्रबन्धन के माध्यम से पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2010-11 में 810 पैरावेट प्रशिक्षित किये जाने की व्यवस्था की गई है तथा 17 जनपदों में एक करोड़ 6 लाख पशुओं का टीकाकरण एक नियत समय पर किया जाता है। भेड़ तथा बकरी पालन को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये नस्ल सुधार पर विशेष बल दिया गया है। कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को छोटे स्वरोजगार के रूप में बैकयार्ड कुक्कुट योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के कुक्कुट पालकों को 16,666 बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाई की स्थापना कराकर रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

प्रदेश में वृक्षाच्छादन बढ़ाने के लिए अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि, रेल, सड़क व नहर के किनारे खाली पड़ी भूमि शहरी क्षेत्रों के पार्कों में, राजकीय तथा अन्य रोपण योग्य भूमि पर उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। समाज के निर्बल, निर्धन तथा वंचित वर्गों को वृक्षारोपण आदि कार्यों में मनरेगा के माध्यम से भी नियोजित कर सरकार रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। वृक्षारोपण कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा जन चेतना, जन सहयोग तथा सहभागिता पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में 80,526 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 7.49 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।

कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन तथा अनुदान की सुविधा प्रदान कर कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में, जहां उथले नलकूप का निर्माण संभव नहीं है, गहरे नलकूप निर्माण की योजना चलायी जा रही है। योजना में लागत का 50 प्रतिशत और अधिकतम 1.00 लाख रुपये का अनुदान देय है। निःशुल्क बोरिंग व पम्पसेट कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः 5,000 रुपये एवं 7,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को 10,000 रुपये का अनुदान बोरिंग पर देय है। वर्ष 2010-11 में 1,63,815 निःशुल्क बोरिंग का निर्माण होगा। इसके

साथ ही 1,508 गहरी बोरिंग, 7,059 मध्यम गहरी बोरिंग, 37 रिचार्जिंग/चेकडैम, 100 डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप, 100 डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप, 46 ब्लास्टकूप का निर्माण होगा।

प्रदेश में सृजित सिंचन क्षमता का पूर्ण उपयोग किये जाने हेतु नहरों का प्रबन्धन एवं जल बंटवारे में कृषकों की सहभागिता बढ़ाने हेतु कुलाबा स्तर पर कुलाबा समितियों एवं अल्पिकाओं तथा राजबहों पर जल उपभोक्ता समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2010-11 में 28,446 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की सफाई करायी गई तथा सिजार, पुरार, लखेरी तथा रसिन बांधों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

मेरी सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु **मान्यवर श्री काशीराम जी नगर विकास योजना** से निकायों को ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्टों के निस्तारण आदि परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि नगरीय परिदृश्य में व्यापक सुधार परिलक्षित हो। नदियों को प्रदूषण रहित एवं पर्यावरणीय व्यवस्था के प्रति राज्य सरकार सजग है। इस अनुक्रम में लखनऊ शहर के भरवारा में 345 एम0एल0डी0 क्षमता वाले एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को शुरू कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

समग्र नगरीय पुनरोत्थान योजना के अन्तर्गत अर्बन इन्फ्रास्ट्राक्चर प्रोजेक्ट का पी0पी0पी0 मोड़ पर 8 महानगरों में क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत लखनऊ, कानपुर एवं मेरठ में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काम्पलेक्स तथा इलाहाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद में मल्टी लेवल पार्किंग आदि के कार्य सम्मिलित है। आगरा में पी0पी0पी0 मोड़ पर इनर रिंग रोड के निर्माण हेतु चयनित कन्सेशनायर एवं आगरा विकास प्राधिकरण के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हो गया है।

''सबके लिये आवास'' योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में 40,000 भवनों/भूखण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्गों के लिए 30 नवम्बर, 2010 तक 34,349 भवनों/भूखण्डों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

सरकार द्वारा आवास सेक्टर के अन्तर्गत निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यू टाउनशिप नीति लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों के बाहर उप नगरों के रूप में टाउनशिप विकसित किये जाने का उद्देश्य है। इस नीति के अन्तर्गत दो टाउनशिप के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में पूर्व से लागू इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अधीन नये टाउनशिप के विकास हेतु निजी क्षेत्र के 30 विकासकर्ताओं को लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं, जिनमें से 10 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो गये हैं।

सरकार द्वारा सड़कों, सेतुओं तथा भवनों के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु वर्ष 2010-11 में लगभग 7,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 2,249 अम्बेडकर ग्रामों को तथा 2,793 अम्बेडकर ग्रामों के समस्त मजरों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 2,040 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण कार्य की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष तहसील

मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण की नई योजना प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2010-11 में 80 वृहद सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

परिवहन व्यवस्था से जुड़े सभी 73 कार्यालयों का कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो गया है और वाहन साफ्टवेयर संचालित करके वाहनों का पंजीयन, स्वस्थता प्रमाण-पत्र व कराधान सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया जा रहा है। यात्रियों हेतु विभिन्न सुविधाओं के विकास के साथ बस संचालन में व्यापक परिवर्तन करते हुये राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवायें संचालित की जा रही हैं।

विद्युत उत्पादन में प्रदेश को स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु निजी क्षेत्र में 6 तापीय परियोजनाओं के साथ ही एम0ओ0यू0 रूट के माध्यम से 9 तापीय परियोजनायें स्थापित की जायेंगी। इसके साथ ही एन0टी0पी0सी0 तथा टी0एच0डी0सी0 के साथ तापीय परियोजनाओं के लिये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये हैं। विद्युत उत्पादन के साथ ही विद्युत निकासी हेतु पारेषण क्षमता का सृजन और विस्तार के कार्य लिये गये हैं, जिनमें विद्युत लाईनों के निर्माण और उपकेन्द्रों की स्थापना तथा उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि सम्मिलित है। लाईन हानियों को कम करने के लिये सरकार कृत संकल्प है। विद्युत वितरण व्यवस्था के संचालन हेतु पी0पी0पी0 की योजना के अन्तर्गत इनपुट-बेस्ड अरबन फ्रैन्चाईजी की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिये ऐसे शहरों को चयनित किया गया है, जहां ए0टी0 एण्ड सी0 हानियां अत्यधिक हैं। प्रथम चरण में आगरा तथा कानपुर शहर को लिया गया है।

प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने विकासयुक्त वातावरण सृजित करने के लिए अवस्थापना को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल किया है और अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाकर सरकार ने विश्व स्तरीय एक्सप्रेस-वे के निर्माण का संकल्प लिया है। निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश हेतु कई नीतियां चिन्हित की गई हैं, जिनमें से एक्सप्रेस-वे, ऊर्जा, उत्कृष्ट शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवहन सेवायें, नगरीय अवस्थापना, नई टाउनशिप का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यटन अवस्थापना इत्यादि प्रमुख है।

निजी क्षेत्र के सहयोग से गंगा एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे के साथ ही बारा एवं करछना में तापीय विद्युत परियोजनायें, 9 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 8 पालीटेक्निक, 6 आई0टी0आई0 की स्थापना एवं आगरा में इनर रिंग रोड के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में उद्यमियों को एक छत के नीचे स्वीकृतियां एवं अनापत्तियां प्रदान करने की एकल मेज व्यवस्था के फलस्वरूप 22,692 उद्यमों की स्थापना हो चुकी है, जिसमें 2,065 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ तथा 1,19,317 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

राज्य में ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत समाज के निर्बल वर्गों को उनके निवास के समीप ही विभिन्न शासकीय सेवाएं प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें जिला एवं तहसील स्तर पर विभिन्न शासकीय कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25 से 30 हजार शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

समाज के सर्वांगीण विकास हेतु प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु सरकार कृत संकल्प है। वर्ष 2010-11 में असेवित बस्तियों में मानक के अनुसार 1,122 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये गये। साथ ही कक्षा 1-8 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयीं। कक्षा 1-2 के बच्चों को अभ्यास कार्य हेतु निःशुल्क कार्य पुस्तिकाएं दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को यूनीफार्म तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को स्कूल बैग वितरित किये गये हैं।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में प्राथमिक विद्यालयों में 65,625 किचेन शेड एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 18,124 किचेन शेड स्थापित किये गये। साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 66 जनपदों को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक आयु की निरक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करते हुए स्वावलम्बी एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का लक्ष्य है।

वर्ष 2010-11 में प्रदेश के 1,500 विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना लागू की गई, जिसमें निःशुल्क कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में 10-10 कम्प्यूटर व उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए दक्षता विकास मिशन का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 1,615 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर पंजीकृत किये गये हैं एवं 1,71,601 युवक/युवतियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

सरकार नागरिकों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है। प्रदेश के बी0पी0एल0 कार्ड धारकों तथा बी0पी0एल0 कार्ड न होने की स्थिति में जिलाधिकारियों के प्रमाण-पत्र पर 24,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को गुर्दा एवं मूत्र रोग, हृदय रोग, कैंसर, अस्थि रोग, थैलेसीमिया आदि गम्भीर रोगों से ग्रसित होने की स्थिति में उपचार के लिये सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिये वर्ष 2010-11 में 2,160 पुरुष चिकित्साधिकारियों एवं 147 महिला चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की गयी है तथा रिक्त पदों को तत्परतापूर्वक भरने की कार्यवाही की जा रही है। अभियान चलाकर संचारी रोगों के प्रभावी नियंत्रण हेतु टीकाकरण के साथ ही प्रत्येक जनपद में नियंत्रक कक्ष बनाये गये हैं।

सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन में सभी विभागों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, निजी एवं गैर शासकीय संगठन, नागरिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इमरजेन्सी एम्बुलेन्स व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में अस्वस्थ लोगों को चिकित्सीय सुविधा हेतु अस्पताल द्वारा निःशुल्क परिवहन सुविधा दिये जाने की योजना अपनायी गई है। संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देते हुए मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जननी सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसमें संस्थागत प्रसव पर शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये की धनराशि लाभार्थी को देने की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्ता एवं उत्कृष्ट मानक के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया है। इस वर्ष 786 मिलावटखोरों को कारागार में निरुद्ध कराया गया, 15,819 नमूने संग्रहीत किये गये, जिनमें से 3,855 नमूने अपमिश्रित पाये गये। दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराने हेतु वाद दायर किये गये हैं।

मेरी सरकार देश में खाद्य सामग्री की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोत्तरी से चिन्तित है क्योंकि इससे प्रदेश की आम जनता भी प्रभावित हुई है। बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने एवं जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार अपने अधिकारों के तहत सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को आवश्यक खाद्य सामग्री की कीमतों पर नजर रखने तथा जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

सर्वजन समाज के हितार्थ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणात्मक सुधार के लिये प्रभावी प्रवर्तन कार्य करते हुए अप्रैल, 2010 से अक्टूबर, 2010 के मध्य 23,479 छापे डाले गये, 887 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी, 372 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा 2,981 लाइसेन्स निलम्बित एवं 1,772 लाइसेन्स निरस्त किये गये। इस अवधि में लगभग 972.40 लाख रुपये मूल्य की आवश्यक वस्तुएं जब्त हुईं तथा 157.51 लाख रुपये प्रतिभूति की राशि शासन के पक्ष में जब्त की गयी।

प्रदेश में सभी उचित दर की दुकानों पर बी0पी0एल0/अन्त्योदय लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करायी जा रही है। उचित दर की दुकानों में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से माह दिसम्बर, 2010 से पायलट बेसिस पर प्रदेश के दो विकास खण्डों (चिनहट, लखनऊ एवं मसौली, बाराबंकी) में लागू की गयी है। नक्सल प्रभावित जनपद-मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली में यह व्यवस्था प्रारम्भ करा दी गयी है।

''मूल्य नियंत्रण योजना'' के अन्तर्गत रियायती मूल्य पर खाद्य पदार्थ जनसामान्य को उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सचल वाहन एवं डिपो द्वारा बाजार दर से अपेक्षाकृत 10 से 30 प्रतिशत सस्ती दर पर सामान बिक्री कराया जा रहा है।

प्रदेश में **अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त तथा विकासयुक्त वातावरण** के सृजन से समाज में **कानून द्वारा कानून का राज** स्थापित किया गया है। मेरी सरकार के गठन के बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विभिन्न आपराधिक तत्वों एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की गई है तथा अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली व पहुंच वाले ही क्यों न हों।

अयोध्या प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाली सम्भावित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सुरक्षा बल उपलब्ध न कराये जाने के बावजूद मेरी सरकार द्वारा उपलब्ध सुरक्षा बलों के आधार पर प्रदेश में व्यापक सुरक्षा प्रबन्ध किये गये। इसके

फलस्वरूप मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त राज्य में कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई तथा प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनी रही। इसका सकारात्मक परिणाम यह निकला कि पूरे देश में भी अमन-चैन कायम रहा।

वाराणसी के शीतला घाट पर दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हुए बम विस्फोट की घटना पर तत्काल माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा घटना स्थल का दौरा किया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए घायलों को चिकित्सा उपलब्ध करायी गई। त्वरित सहायता प्रदान करते हुए गम्भीर रूप से घायलों को पचास हजार रुपया, साधारण रूप से घायलों को पच्चीस हजार रुपया तथा मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई। सरकार द्वारा उक्त घटना के पश्चात प्रदेश में व्यापक सुरक्षात्मक कदम उठाये जाने के परिणामस्वरूप कोई प्रतिक्रियात्मक घटना घटित न होने पायी।

प्रदेश में पूरी तरह से साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल बना हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा जातिगत अथवा क्षेत्रगत तनाव या माओवादी अथवा आतंकवादी घटनायें घटित नहीं हुई हैं। प्रदेश में अपराधों का घटता ग्राफ चुस्त-दुरुस्त कानून-व्यवस्था की स्वतः पुष्टि करते हैं।

मेरी सरकार नक्सलवाद की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था के नजरिये से ही नहीं देखती, बल्कि इसके सामाजिक व आर्थिक पहलुओं की ओर भी पूरा ध्यान दे रही है। इस समस्या के निदान हेतु समन्वित कार्यवाही करने की रणनीति अपनायी गई है, जिसके बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में उग्रवाद का जवाब विकास से दिया है।

नेपाल की सीमायें खुली होने के कारण माओवादियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों व आपराधिक तत्वों की अवैध घुसपैठ की सम्भावना बनी रहती है। घुसपैठ पर नियंत्रण हेतु पुलिस महानिदेशक के तत्वावधान में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आतंकवादी हमलों से निपटने के लिये कमाण्डो बल भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिये अनौरा, लखनऊ में एक कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है। प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है।

विगत वर्ष 35,000 पुलिस आरक्षी के पदों पर कराये गये चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देकर शीघ्र ही पुलिस बल में सम्मिलित कर लिया जायेगा, जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिलेगी। प्रदेश में स्थित स्मारकों तथा पार्कों की सुरक्षा हेतु अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण इन्हें आतंकवादियों व अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाया जा सकता था। अतः पार्कों व स्मारकों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड्स में से उपयुक्त होमगार्ड्स का चयन कर विशेष सुरक्षा वाहिनी का गठन किया गया है।

कारागारों में बन्दी क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध होने के कारण प्रदेश के कारागार विहीन जनपदों में जिला कारागारों का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही निरुद्ध बन्दियों को स्वावलम्बी एवं कार्यकुशल बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय कारागारों में कारागार उद्योगों की स्थापना की गई है।

वेतन समिति द्वारा वर्ष 2008 में तथा गत वर्ष की अवधि में विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की गई। वेतन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई संस्तुतियों को लागू करने में यद्यपि राज्य सरकार पर काफी अधिक व्ययभार निहित था, तथापि मेरी सरकार द्वारा कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त संस्तुतियों को लागू करने का निर्णय लिया गया। समिति की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियोंा सहित विभिन्न वर्गों के कर्मियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन वेतनमान 10, 18 तथा 26 वर्ष की सेवा के आधार पर स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मियों, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को 01 जनवरी, 2006 से सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान उच्चीकृत करते हुए उन्हें ग्रेड वेतन रु0 1800/- अनुमन्य कराया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय विभागों, नगर निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद् तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में दिनांक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिये यथावश्यक अधिसंख्य पद भी सृजित किये जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें लगभग 35 हजार कर्मचारी लाभान्वित हुए।

व्यापारियों को आन लाइन फार्म-38 व ट्रांजिट पास प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। साथ ही इन्हें वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ई-पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और अब इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया व यूनियन बैंक आफ इण्डिया भी ई-पेमेंट की सुविधा देने लगे हैं। माह नवम्बर, 2010 में 37.60 प्रतिशत राजस्व ई-पेमेंट से प्राप्त हुआ है। पंजीयन प्रकोष्ठ से 24 घण्टे के अन्दर नये व्यापारी को पंजीकरण प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2010-11 में माह नवम्बर, 2010 तक 49,022 नये पंजीयन दिये गये हैं। इस प्रकार कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 5,93,708 हो गई है।

सरकार स्टाम्प एवं पंजीयन कार्य को उत्तरोत्तर पारदर्शी, आधुनिक और सरल बनाने हेतु कटिबद्ध है। प्रदेश के 106 सदर निबन्धक कार्यालयों में पंजीयन का कार्य कम्प्यूटर पर किया जा रहा है। लखनऊ तथा मेरठ मण्डलों के 43 तहसील स्तरीय उप निबंधक कार्यालयों में पंजीयन का कार्य कम्प्यूटरीकृत किये जाने की व्यवस्था गतिमान है। इस प्रकार पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहारों/ निष्पादित विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों का पंजीकरण एवं उन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखा जा सकेगा।

प्रदेश में निजी क्षेत्र को पर्यटन सेक्टर में पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जनपद कुशीनगर में पूर्व से स्थापित हवाई पट्टी को विस्तारीकृत कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक हवाई अड्डे के निर्माण की योजना तैयार की गई है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से पर्यटकों को उपलब्ध होने वाली सुविधा के साथ ही क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी।

भारत की जनगणना-2011 का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य में 01 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ हो चुका है। प्रथम चरण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। द्वितीय चरण का कार्य 09 फरवरी, 2011 से प्रारम्भ होगा।

सचिवालय परिसर में वाहनों को खड़ा करने की समस्या के निदान हेतु परिसर में भूमिगत बहुमंजलीय पार्किंग का निर्माण कराया गया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रितों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के अंतरंग चिकित्सीय सुविधा हेतु रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था की गई है। सूचना क्रान्ति के युग में प्रासंगिक समानता रखने हेतु उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी से विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को सी0यू0जी0 की सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ ही सचिवालय में स्मार्ट कार्ड योजना लागू की गई है। इसके माध्यम से कर्मियों की उपस्थिति दर्ज होगी।

मा0 सदस्यगण, विधान मण्डल की इस बैठक में आपके सामने वित्तीय वर्ष 2011-12 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्रदेश की कुछ ज्वलन्त समस्याओं पर विचार करेंगे। परम्परागत रूप से सरकार द्वारा प्रस्तुत कुछ आवश्यक विधेयकों पर चर्चा करके उन्हें पारित किया जायेगा। गैर सरकारी माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों व लोक महत्व के विषयों पर चर्चा होगी।

माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि प्रदेश की आम जनता के हित में आप सभी माननीय सदस्यगण मेरी सरकार का सहयोग कर सभी जनहित के प्रश्नों का, दलीय निष्ठाओं से ऊपर उठकर समाधान निकालेंगे और मेरी सरकार द्वारा इस देश के महानतम राज्य उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने के भगीरथ प्रयास में अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। आज मेरी सरकार ने निरन्तर जनकल्याण के क्षेत्र में समर्पित सेवाभाव और सुविचारित नीतियों से उत्तर प्रदेश को एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा दिया है, जहां से विकास और खुशहाली के तमाम रास्ते प्रशस्त होते हैं।

मैं आशा करता हूं कि प्रदेश को समग्र रूप से विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में मेरी सरकार द्वारा किये जा रहे ठोस प्रयासों को साकार करने के लिये विधान मण्डल के मा0 सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके स्वस्थ और सफल जीवन की मंगल कामना करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने बीच आने और मेरी सरकार के कार्यकलाप प्रस्तुत करने का अवसर दिया ।

जयहिन्द ।]

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) अध्यादेश, 2010 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) अध्यादेश, 2010 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 †

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबंधन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 को सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट ††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 की उपधारा (2) के अधीन बिलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट ††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

सतर्कता अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2339/39-4-2010-21-05,

दिनांक 22 सितम्बर, 2010 ††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सतर्कता अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2339/ 39-4-2010-21-05, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-24 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-17/2009, परिवाद संख्या-148/ 2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-17/2009, परिवाद संख्या-148/ 2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापी नहीं गया।

† छापा नहीं गया।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2009-10 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2009-10 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2009-10 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2009-10 को उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

वन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-1835/14-5-2010-109-1993, दिनांक 26 नवम्बर, 2010††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-1835/14-5-2010-109-1993, दिनांक 26 नवम्बर, 2010 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-78(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

मोनार्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

मोनार्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2010-2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2010-2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष

द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 अगस्त, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधेयक, 2010 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 अगस्त, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2010 की बैठक में पारित किया था, और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल से इस सचिवालय को पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2010 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया था, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को मूलतः पारित किया गया था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2010 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अगस्त, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था, और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल से इस सचिवालय को पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2010 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया था, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को मूलतः पारित किया गया था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2010 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अगस्त, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

मोनार्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि :-

मोनार्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि :-

आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि :-

बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति

दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि :-

श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि :-

नोएडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2010 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2010 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2010 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15 व 16 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 03 फरवरी, 2011 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 04 फरवरी, 2011 से 01 मार्च, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

फरवरी, 2011

04 शुक्रवार **1-11.00 बजे पूर्वाह्न**

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2-12.30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़ कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

05 शनिवार
06 रविवार } बैठक नहीं होगी।

फरवरी, 2011

07 सोमवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।
08 मंगलवार	**1-11.00 बजे पूर्वाह्न** वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
09 बुधवार 10 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
11 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन) 2-विधायी कार्य (आधा दिन)
12 शनिवार 13 रविवार	बैठक नहीं होगी।
14 सोमवार 15 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
16 बुधवार	(ईद-ए-मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
17 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
18 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-असरकारी दिवस।
19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी।
21 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।
22 मंगलवार 23 बुधवार 24 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
25 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-असरकारी दिवस।

<u>फरवरी, 2011</u>

26 शनिवार
27 रविवार } बैठक नहीं होगी।

28 सोमवार 1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
2-विधायी कार्य।

<u>मार्च, 2011</u>

01 मंगलवार 1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
2-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक अनुरोध मेरा है और बड़े संकोचवश यह बात मैं कह रहा हूं कि जो कुछ वहां पास हुआ था, और आपकी इच्छा से पास हुआ था, केवल उतना हिस्सा तो आ जाना चाहिये था और आपने स्वयं कहा था और आपने स्वयं इच्छा प्रकट की थी, हमने तो विरोध किया था इसका भी लेकिन बाद में आपने जब इच्छा व्यक्त की थी, कि आज तक का कर दीजिये तो हम मान गये थे। आज तक का ही प्रस्ताव इसमें आना चाहिये आगे का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये। मैं खेद इसलिये व्यक्त कर रहा हूं मान्यवर, कि कार्य-मंत्रणा समिति की कार्यवाही को आधार मानकर यह हमको कहना नहीं चाहिए लेकिन अगर ऐसी कोई बात सामने आये और इस बात को मैं आपके सामने न रखूं तो मैं यह सोचता हूं कि यह मेरी जिम्मेदारी का अभाव होगा। इसलिये मैंने आपके सामने बात रखी कि जितना वहां पर अनुमोदित हुआ था इतना ही भाग आना चाहिये था।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, वहां तो यही तय हुआ था कि ऐज इट इज अभी लिया जाए और बाकी जो बातें हुई वह सबको मालूम है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-18 में कुछ नहीं है।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास कर एवं निबंधन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 08-3-2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, पुनः 7 तारीख को 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 01 बजकर 06 मिनट पर सोमवार दिनांक 07 फरवरी, 2011 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

प्रदीप कुमार दुबे,

लखनऊ : प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 04 फरवरी, 2011

पी0एस0यू0पी0-एल0 257 विधान सभा (486)-24-3-2011-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।